

[2025] 8 एस.सी.आर. 395:2025 आई.एन.एस.सी. 929

दीपक कुमार साहू

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

(दाण्डिक अपील सं. 3352/2025)

05 अगस्त, 2025

[सुधांशु धुलिया एवं एन. वी. अंजारिया, न्यायाधीशगण]

विचारार्थ विवादक

अपीलार्थी को भा.द.वि. की धारा 450 व 376 (2) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 [पॉक्सो अधिनियम] की धारा 4 के तहत दण्डनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया और दण्डादेश दिया गया। क्या उच्च न्यायालय का विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी-दोषी की गई दोषसिद्धि और दण्ड को यथावत् रखते हुए संपुष्ट करना न्यायसंगत था?

शीर्ष टिप्पण

दण्ड संहिता, 1860 - धारा 450, 376(2) - लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 - धारा 4 - यह आरोप कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने लगभग 15 वर्ष की आयु की पीड़िता के घर में प्रवेश किया और लगभग 11 वर्ष की आयु के उसके भाई को चबाने वाले तंबाकू का एक पैकेट लाने के लिए भेजा - एक बार जब भाई घर से बाहर निकला, तो आरोपी ने पीड़िता को घर के बरामदे में पड़े खाट पर बलपूर्वक लिटा दिया, उसका मुंह बंद कर दिया और मैथुन किया - विचारण न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत सिद्धदोष किया - उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को यथावत् रखते हुए संपुष्ट किया - शुद्धता :

अभिनिर्धारित : 1. उच्च न्यायालय का विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी-दोषी की गई दोषसिद्धि और दण्ड को यथावत् रखते हुए संपुष्ट करना न्यायसंगत था। [कण्डिका 6.3]

2. विधि के सिद्धांतों, पीड़िता के साक्ष्य को सबसे आगे रखते हुए, साक्ष्यात्मक विश्लेषण के आलोक में कुल साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए, यह कहना होगा कि पीड़िता का साक्ष्य पूरी तरह से संभावित, स्वाभाविक और विश्वसनीय था, जिसने स्पष्ट रूप से अभियुक्त द्वारा उसके विरुद्ध

अपराध किए जाने के बारे में पूरी घटना का वर्णन किया - उसके साक्ष्य पर अविश्वास करने और उसे खारिज करने का कोई कारण नहीं है, बहुत कम मजबूर करने वाले कारण हैं- एक बाल साक्षी के रूप में पीड़िता के भाई का साक्ष्य तर्कसंगत और तार्किक रूप से उसके कथन का समर्थन करता है - यह तथ्य कि खाट बरामदे में थी और पीड़ित को अभियुक्त द्वारा वहाँ लेटने के लिए मजबूर किया गया था भी साक्ष्यों से कथन किया जा सकता है। [कण्डिका 6]

3. निरंतरता थी - घटना के तुरंत बाद पीड़िता का आचरण काफी स्वाभाविक था, क्योंकि वह पड़ोस में चचेरी बहन के घर गई और उसके माध्यम से, चचेरे भाई और उसके माता-पिता को सूचित किया जो बाहर थे। [कण्डिका 6.1]

4. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की समग्रता से घटना का सार स्पष्ट रूप से स्थापित किया जा सकता है, जिसमें अभियुक्त द्वारा पीड़िता पर हावी होने और बलपूर्वक बिस्तर पर ले जाकर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया गया है। [कण्डिका 6.2]

दण्ड संहिता, 1860 - धारा 450, 376 (2) - लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 - धारा 4 - अपीलार्थी-अभियुक्त को विचारण न्यायालय ने भा.द.वि. की धारा 450 व 376 (2) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषसिद्ध किया - अभियुक्त द्वारा यह तर्क दिया गया था कि शारीरिक संभोग की घटना और बाहरी क्षति के निशान की अनुपस्थिति के बारे में सशक्त चिकित्सकीय साक्ष्य की अनुपलब्धता अभियोक्त्री के साक्ष्य पर संदेह करना और उसकी अवहेलना करना अनिवार्य बनाती है :

अभिनिर्धारित : 1. यह तर्क कि शारीरिक संभोग की घटना और बाहरी क्षति के निशान की अनुपस्थिति के बारे में सशक्त चिकित्सकीय साक्ष्य की अनुपलब्धता अभियोक्त्री के साक्ष्य पर संदेह करना और उसकी अवहेलना करना अनिवार्य बनाती है, शायद ही स्वीकार किया जा सकता है। [कण्डिका 5.4.1]

2. घटना का सार, अभियुक्त द्वारा पीड़िता पर हावी होने और उसे बलपूर्वक बिस्तर पर ले जाकर जबरदस्ती करना, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की समग्रता से स्पष्ट रूप से स्थापित किया जा सकता है- केवल इसलिए कि चिकित्सकीय साक्ष्य कम संपोषणकारक और कम सहायक या विवरण में अनुपस्थित या कोई बाहरी चोट को नहीं दर्शाता था- इसने अभियोजन

पक्ष के प्रकरण को किसी भी तरह से कमजोर नहीं किया- पीड़िता की एकमात्र साक्ष्य उपलब्ध साक्ष्य पर विश्वास करने के लिए एक सशक्त साक्ष्य था। [कण्डिका 6.2]

उद्धृत किया गया निर्णय विधि

पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह [1996] 1 एस.सी.आर. 532 : (1996) 2 एस.सी.सी. 384; लोक मल उर्फ लोक् बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2025) 4 एस.सी.सी. 470; हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम मंगा सिंह [2018] 14 एस.सी.आर. 904 : (2019) 16 एस. सी. सी. 759 - का अवलंब लिया गया।

वाहिद खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य [2009] 15 एस.सी.आर. 1207 : (2010) 2 एस. सी. सी. 9; राजू उर्फ उमाकांत बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2025 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 997; महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन [1990] 1 एस.सी.आर. 115 : (1990) 1 एस. सी. सी. 550; भरवाड़ा भोगिनभाई हिरजिभाई बनाम गुजरात राज्य (1983) 3 एस. सी. आर. 280 : (1983) 3 एस. सी. सी. 217; हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम लेख राज [1999] सप. 4 एस.सी.आर. 286 : (2001) 1 एस. सी. सी. 247; औसू वर्गीज बनाम केरल राज्य (1974) 3 एस. सी. सी. 767; जगदीश बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1981) एस. सी. सी. (क्रि.) 676; राजस्थान राज्य बनाम एन. के., अभियुक्त [2000] 2 एस.सी.आर. 818 : (2000) 5 एस. सी. सी. 30 - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012; दण्ड विधान, 1860; दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973.

मुख्य शब्दों की सूची

संभोग; बाहरी क्षति के निशान की अनुपस्थिति; अभियोक्त्री का साक्ष्य; पीड़िता का एकमात्र साक्ष्य।

प्रकरण उद्धृत

दाण्डिक अपील अधिकारिता : दाण्डिक अपील सं. 3352/2025

दाण्डिक अपील सं. 34/2020 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के 22.09.2023 दिनांकित निर्णय व आदेश से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता :

मनीष कुमार सरन, सुश्री अनन्या त्यागी, सिद्धांत शर्मा।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय /आदेश

निर्णय

एन. वी. अंजारिया, न्यायाधीश

विलंब को माफ किया गया। अनुमति दी गई।

2. अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत, वर्तमान अपील 22 सितंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा दाण्डिक अपील सं. 34/2020 में पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देती है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश (अ.जा./ज.जा. न्यायालय), राजनंदगांव, (छ. ग.) के दाण्डिक (टी) प्रकरण सं. 10/2018 में अपीलार्थी की दोषसिद्धि के निर्णय और दण्डादेश को यथावत् रखा था।

2.1 अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 450 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए सिद्धदोष किया जाकर ₹5,00/- के अर्थदण्ड के साथ पाँच वर्ष के सश्रम कारावास का दण्डादेश दिया। उन्हें धारा 4 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए भी दोषी ठहराया गया था। उसे लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 [पॉक्सो अधिनियम] की धारा 4 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए सिद्धदोष किया गया और आगे भा.द.वि. की धारा 376 (2) के तहत दण्डनीय अपराध के लिए सिद्धदोष किया गया और दस वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1,000/- के अर्थदण्ड का दण्डादेश दिया, जो पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध के लिए दिए गए दण्डादेश से अधिक गंभीर थी, अतः वही दण्डादेश दिया गया।

3. अभियोजन पक्ष के प्रकरण के अनुसार, घटना 03.04.2018 को दोपहर लगभग 12:00 बजे हुई। दुर्भाग्यपूर्ण दिन, लगभग 15 वर्ष की आयु की पीड़िता और उसका छोटा भाई, जिसका नाम

मयंक था, जो लगभग 11 वर्ष का था, अपने घर के अंदर थे। माता-पिता अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ग्राम करती गए थे क्योंकि उनके परिवार में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। पीड़िता को घर में अकेला पाकर अपीलार्थी-आरोपी घर में घुस गया। उसके बाद उसने पीड़ित के भाई को चबाने वाले तंबाकू का एक पैकेट लाने के लिए भेजा। एक बार जब पीड़िता का भाई घर से निकला, तो अभियुक्त ने पीड़िता को घर के बरामदे में पड़े खाट पर बलपूर्वक लिटा दिया, उसका मुंह बंद कर दिया और संभोग किया। जब पीड़िता का भाई उसे देखकर वापस आया, तो अपीलकर्ता-आरोपी पीड़िता को किसी को कुछ न बताने की धमकी देते हुए घर से भाग गया।

3.1 घटना के तुरंत बाद पीड़िता पड़ोस में अपनी चचेरी बहन दुष्यंतिन के घर गई और घटना के बारे में बताया। दुष्यंतिन के भाई खोमेंद्र, जो पीड़िता के माता-पिता के साथ गाँव करती गया हुआ था, को भी घटना के बारे में मोबाइल फोन के माध्यम से सूचित किया गया था। पीड़िता के माता-पिता घर लौट आए। जब वे घर पहुंचे तो पीड़िता ने अपने माता-पिता को पूरी घटना बताई। एक पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई, और प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र. P-08) पंजीबद्ध किया गया।

3.2 पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1978 की धारा 164 के तहत कथन दर्ज किया गया तथा उपरोक्त अपराधों के लिए एक दाण्डिक प्रकरण दर्ज किया, जिसका विचारण विशेष न्यायालय के समक्ष हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया गया और दण्डादेश दिया गया जिसे उच्च न्यायालय द्वारा संपुष्ट किया गया।

3.3 विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा जिन साक्षियों का विचारण किया गया उनमें अभियोक्त्री स्वयं (अ.सा.-2), माता अलका (अ.सा.-1), पिता मायाराम (अ.सा.-3), भाई मयंक (अ.सा.-9), दुष्यंतिन (अ.सा.-14), चिकित्सा अधिकारी, डॉ. आर. के. पाशी (अ.सा.-11), डॉ. किरण, विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी (अ.सा.-17), अन्वेषण अधिकारी (अ.सा.-18) सम्मिलित थे।

4. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष कुमार सरन, अभिलेख अधिवक्ता (एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड) ने उच्च न्यायालय के निर्णय पर प्राथमिक और मुख्य रूप से तीन आधारों पर आक्षेप किया, जैसा कि अपील के ज्ञापन से उजागर किया गया है और निवेदनों के दौरान विस्तार से बताया गया है। यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष अपने प्रकरण को उचित संदेह से परे स्थापित करने में विफल रहा है और अपीलार्थी के निर्दोष होने के सिद्धांत को खारिज करना संभव नहीं है। इस संबंध में, यह निवेदन किया गया था कि अभियोक्त्री के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और सावधानी के साथ विश्लेषण करने की आवश्यकता है जब चिकित्सा रिपोर्ट पीड़िता पर लैंगिक हमला और बलात्कार के अपराध की संपोषण करने के लिए स्पष्ट नहीं थी। दूसरा, यह तर्क दिया गया कि पीड़िता (अ.सा.-2) और उसके छोटे भाई (अ.सा.-9) के साक्ष्य के मध्य विरोधाभास था। अंत में यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष यह स्थापित नहीं कर सका कि पीड़िता घटना दिनांक को नाबालिग थी ताकि पॉक्सो अधिनियम 2012 के प्रावधानों लागू हों।

5. शुरुआत में अंतिम विवादित पहलू से निपटने के लिए, कि अभियोक्त्री को अप्राप्तवय नहीं दर्शाया गया था, इस तर्क को खारिज किया जाना बताया गया है। पीड़िता की 8 वीं कक्षा की अंकसूची की प्रकृति में एक ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य था जिसमें उसकी जन्म तिथि 09.10.2002 दिखाई गई थी। उक्त अंकसूची अन्वेषण अधिकारी (अ.सा.-18) द्वारा पीड़िता की माता से प्राप्त किया गया था और उसने अपने साक्ष्य में इसके बारे में अभिसाक्ष्य दिया था। जन्म तिथि 09.10.2002 होने की संपोषण पीड़िता की माता (PW-1) और पीड़िता के पिता (PW-3) के साक्ष्य से भी की गई थी, जिन्होंने कथन किया था कि उनकी पुत्री की आयु 16 वर्ष से कम थी। विचारण न्यायालय ने सही दर्ज किया कि घटना की दिनांक 03.04.2018 को पीड़िता की आयु 15 वर्ष 5 माह 24 दिन थी।

5.1 आगे बढ़ने से पहले, अभिलेख पर लाए गए तथा प्रथम न्यायालय द्वारा विश्लेषित साक्ष्य जिन पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया का संक्षिप्त विश्लेषण किया जा सकता है। स्वयं अभियोक्त्री ने अ.सा. 2 के तौर पर अभिसाक्ष्य दिया था। अपराध के कृत्य को स्थापित करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अन्य साक्ष्यों के साथ, उसके अभिसाक्ष्य को महत्वपूर्ण माना गया।

5.2 अभियोक्त्री के साक्ष्य को कुछ विस्तार के साथ देखा जाए तो उसने कथन किया कि उस विशेष दिन, वह और उसका छोटा भाई मयंक घर पर थे और वह अपने भाई को दोपहर का भोजन परोस रही थी, उस समय अभियुक्त जिसे वह पहचान सकती थी, घर के अंदर आया, उसके भाई को कुछ चबाने वाला तंबाकू खरीदने के लिए भेज दिया। उसने कथन किया कि इसके बाद अभियुक्त ने उसे घर के बरामदे में खाट पर बलपूर्वक लिटा दिया और उसका मुंह बंद कर दिया। उसने कथन किया कि उसके कपड़े उतारने के बाद अभियुक्त ने एक कुकर्म किया और उसके साथ बलात्कार किया।

5.2.1. पीड़िता ने आगे कथन किया कि जब उसका भाई उसे देखकर लौटा तो अभियुक्त भाग गया। घटना के बाद, यह कथन किया गया कि वह पड़ोस में अपने चाचा के घर गई और दुष्यंतिन नाम की अपनी बहन से अपना मोबाइल फोन देने के लिए कथन किया, जिसका उपयोग करके उसने चचेरे भाई खोमेंद्र से संपर्क किया जो ग्राम करेती में अपने माता-पिता के साथ गया था, और उसे बताया कि क्या हुआ था। उसने कथन किया कि उसके माता-पिता के वापस आने के बाद उसने पूरी घटना के बारे में बताया। वे शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गए। पुलिस को दी गई रिपोर्ट पर उसने अपना हस्ताक्षर किया था।

5.2.2. अपनी प्रति- परीक्षण में, पीड़िता ने कथन किया कि उसके भाई ने जब उसके माता-पिता से पूछताछ की, तो उसने माता-पिता को बताया कि उसने उन दोनों को, अर्थात् पीड़िता को और अभियुक्त को खाट पर देखा था। उसने आगे कथन किया कि उसके पिता ने अपने दोस्त सुदर्शन माणिकपुरी को फोन किया, जो भी पुलिस स्टेशन आया था। उसने कथन किया कि पुलिस स्टेशन में उससे मौखिक रूप से पूछताछ की गई थी।

5.3 अन्य साक्ष्यों पर ध्यान देना अनुचित नहीं होगा। भाई- मयंक (अ.सा.-09), जिसकी आयु लगभग 11 वर्ष थी और जो एक बाल साक्षी था, से पूछताछ की गई। यह

सुनिश्चित करने के लिए कि वह साक्ष्य देने में सक्षम है, उससे कुछ प्रश्न किए गए थे। उसने कथन किया कि घटना के दिन जब वह स्कूल से लौटा तो उसकी बहन के अलावा घर पर कोई नहीं था। उसने कथन किया कि आरोपी- दीपक जिसने उसे अपने घर के अंदर आते देखा, ने उसे चबाने वाला तंबाकू खरीदने के लिए भेजा और जब वह तंबाकू लेकर वापस आया तो उसने अभियुक्त को अपनी बहन का मुंह अपने हाथ से बंद करते हुए देखा और उसने उसे खाट पर लिटा दिया था। यह कथन किया गया था कि उस समय उसकी बहन को बिना कपड़ों के देखा गया था और अभियुक्त को भी पतलून के बिना इसी तरह की स्थिति में देखा गया था।

5.3.1. दुष्यंतिन (अ.सा.-10) के साथ-साथ खोमेंद्र (अ.सा.-14) के साक्ष्य पीड़िता के इस अभिसाक्ष्य को पुष्ट करता है कि घटना के बाद वह दुष्यंतिन के घर गई थी, जहाँ से उसने दुष्यंतिन के मोबाइल फोन का उपयोग कर खोमेंद्र को संपर्क कर सूचित किया, जिसने बदले में पीड़ित के माता-पिता को घटना के बारे में सूचित किया और कथन किया कि घटना के बारे में पता चलने पर वे वापस लौट आए थे।

5.3.2. पीड़ित की माता, अलका बरसागढ़े (अ.सा.-1) और पिता मायाराम बरसागढ़े (अ.सा.-3) ने अन्य बातों के साथ-साथ यह बयान दिया कि आरोपी-दीपक कुमार अपने पड़ोसी में रहता था और वे उसे जानते थे कि घटना की दिनांक को वे एक अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए गाँव करेती गए थे और बहनोई खोमेंद्र का बेटा भी अन्य रिश्तेदारों के साथ उनके साथ गया था। अ.सा.-1 ने कथन किया कि खोमेंद्र द्वारा सूचित किए जाने पर उसके पति ने उसे घटना के बारे में सूचित किया, जिसे उसकी पुत्री का फोन आया था। दोनों ने अपने बयानों में उस घटना का वर्णन किया जो पीड़ित-पुत्री ने उन्हें बताई थी, कि अभियुक्त घर के अंदर आया और उसे घर के बरामदे में बिस्तर पर ले जाने के लिए उसका मुंह बंद कर दिया और उसके साथ बलात्कार किया। अ.सा.-1 ने अपनी प्रति-परीक्षण में कथन किया कि उसकी पुत्री ने उसे बताया कि अभियुक्त ने उसके अंदर के कपड़े उतारने के

बाद उसके प्रति परीक्षा किया था।

5.3.3. पुलिस द्वारा शिकायत के बाद प्राप्त चिकित्सकीय परीक्षण के अभिलेख से पता चला है कि पीड़िता के गुप्तांगों पर कोई चोट के निशान नहीं हैं। यद्यपि, यह उल्लेख किया गया था कि हाइमेन टूट गया था और उसमें सुधार होने का संकेत दिया गया था। अभियुक्त को शारीरिक, मानसिक और चिकित्सकीय रूप से संभोग करने में पूरी तरह से सक्षम पाया गया जैसा कि अ.सा.-1 द्वारा कथन किया गया था। उसने अपने प्रति- परीक्षण में कथन किया है कि अगर स्नान किया जाता है और सफाई की जाती है तो वीर्य अनुपस्थित हो सकता है। अ.सा.-17, जो ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी थे, ने यह भी कथन किया है कि पीड़िता के जननांगों पर चोट या खरोंच के निशान नहीं थे।

5.4 अभियोक्त्री के साक्ष्य को कंडिका 5.2 से 5.2 में रेखांकित किया गया है।² उपरोक्त घटना के वर्णन में न केवल स्पष्ट और सुसंगत है, बल्कि स्वाभाविक भी है। दुष्प्रयत्न के घर पहुँचने और अपने मोबाइल के माध्यम से खोमेंद्र आदि से बात करके अपने माता-पिता से संपर्क करने सहित घटनाओं का क्रम, जिन तथ्यों की संपोषण अ.सा.-1 और अ.सा.-3 के साथ-साथ अ.सा.-10 और अ.सा.-14 के साक्ष्य से की गई थी। अभियोक्त्री (अ.सा.-2) और उसके भाई, मयंक (अ.सा.-9) की गवाही में अपराध के वास्तविक अपराध और उसकी परिचर परिस्थितियों से संबंधित तथ्यों का मिलान किया गया।

5.4.1. अभियोक्त्री (अ.सा.-2) के साक्ष्य पर ध्यान से देखने से पता चलेगा कि घटना का वर्णन करने और उसके साथ जो हुआ उसका वर्णन करने में उसकी गवाही स्वाभाविक है। यहां तक कि जब स्वतंत्र रूप से पढ़ा जाता है, तो ऊपर बताए गए अन्य लोगों की मौखिक गवाही को छोड़कर, यह अपनी स्पष्टता और निरंतरता के लिए आत्मविश्वास और सच्चाई को प्रेरित करता है। यह तर्क कि शारीरिक संभोग की घटना और बाहरी चोट के निशान की अनुपस्थिति के बारे में सशक्त चिकित्सकीय साक्ष्य की अनुपलब्धता अभियोक्त्री के साक्ष्य पर संदेह करना और उसकी अवहेलना करना अनिवार्य

बनाती है, शायद ही स्वीकार किया जा सकता है।

5.5 भा.द.वि. की धारा 376 के तहत किए गए अपराधों के प्रकरणों में, जब साक्ष्य में बताया गया पीड़िता का कथन विश्वसनीय पाया जाता है, तो पीड़िता के स्वीकार्य साक्ष्य के विरुद्ध चिकित्सकीय साक्ष्य की स्पष्ट अपर्याप्तता की दशा में बाद वाला अधिक प्रभावी होगा। **पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह [(1996) 2 एस. सी. सी. 384]** के प्रकरण में यह टिप्पणी की गई कि :

अभियोक्त्री के गुप्तांग पर चोट के अभाव में, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि घटना नहीं हुई थी या संभोग अभियोक्त्री की सहमति से किया गया था। अभियोक्त्री लगभग नौ वर्ष की आयु की एक छोटी बच्ची होने के कारण, उसके संभोग के लिए सहमति देने का कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता था। अभियोक्त्री के गुप्तांग में चोटों की अनुपस्थिति का वर्तमान प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है।
(कण्डिका 16)

5.5.1. **हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम मंगा सिंह [(2019) 16 एस. सी. सी. 759]** में, जो भा.द.वि. की धारा 376 के तहत किए गए अपराध के संबंध में प्रकरण था, जिसमें अभियोक्त्री 9 वर्ष की नाबालिग लड़की थी, वह अपनी पढ़ाई करने के लिए अपनी चाची के घर में रह रही थी। जब उसके विरुद्ध बलात्कार का अपराध किया गया, तो उसने अपनी शिक्षिका को बताया। उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया कि चिकित्सक का चिकित्सकीय साक्ष्य यह अभिनिर्धारित करने के लिए निर्णायक नहीं था कि अभियोक्त्री के साथ संभोग हुआ था।

5.5.2. इस न्यायालय ने टिप्पणी की कि यदि पीड़िता का साक्ष्य किसी भी बुनियादी दुर्बलता से ग्रसित नहीं है और संभावना का कारक इसे अयोग्य साक्ष्य नहीं बनाता है, तो दोषसिद्ध पूरी तरह से अभियोक्त्री के साक्ष्य पर

आधारित हो सकती है। आगे यह टिप्पणी की गई कि कुछ मामलों को छोड़कर एक सामान्य नियम के रूप में संपोषण पर जोर देने का कोई कारण नहीं है।

5.5.3. चिकित्सकीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में, अभियोक्त्री की एकल गवाही दोषसिद्ध का आधार बनने के लिए पर्याप्त हो सकती है।

“अभियोक्त्री के एकमात्र साक्ष्य पर दोषसिद्ध कायम रखी जा सकती है, यदि यह विश्वास को प्रेरित करती है। दोषसिद्ध पूरी तरह से अभियोक्त्री के एकमात्र साक्ष्य पर आधारित हो सकती है और किसी भी संपोषण की आवश्यकता नहीं है जब तक कि ऐसे बाध्यकारी कारण न हों जो न्यायालयों को उसके कथन के संपोषण पर जोर देना आवश्यक बनाते हों। अभियोक्त्री के साक्ष्य का संपोषण विधि की आवश्यकता नहीं है; बल्कि प्रस्तुत तथ्यों और परिस्थितियों में विवेक का मार्गदर्शन है। मामूली संकुचन या छोटी-छोटी विसंगतियाँ अभियोक्त्री के साक्ष्य की अवहेलना करने का आधार नहीं होनी चाहिए।” (कण्डिका 11)

5.5.4. यह सच हो सकता है कि वर्तमान प्रकरण में चिकित्सा अधिकारी (अ.सा.-17) के साक्ष्य में पीड़िता के जननांगों पर बाहरी चोटों के निशान नहीं होने की बात कही गई है। यद्यपि, यह प्रतिपादन कि पीड़िता का ठोस साक्ष्य उपलब्ध होने पर चिकित्सकीय साक्ष्य से संपोषण अनिवार्य नहीं है, **लोक मल उर्फ लोक् बनाम लोक् बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [(2025) 4 एस. सी. सी. 470]** के प्रकरण में इस न्यायालय के हाल के एक निर्णय में दोहराते

हुए टिप्पणी की कि :

“केवल इसलिए कि चिकित्सकीय साक्ष्य में, कोई बड़ी चोट के निशान नहीं हैं, यह केवल अभियोक्त्री के अन्यथा विश्वसनीय साक्ष्य को त्यागने का कारण नहीं हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक प्रकरण में जहां बलात्कार का आरोप लगाया जाता है, पीड़िता के गुप्तांगों पर चोट लगी हो और यह किसी विशेष प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हम दोहराते हैं कि पीड़िता के गुप्तांगों पर चोटों की अनुपस्थिति सदैव अभियोजन पक्ष के प्रकरण के लिए घातक नहीं होती है। (कण्डिका 4)

5.5.5. इस प्रकरण के तथ्यों जैसे तथ्यों वाले **लोक मल (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में यह कथन किया गया कि अभियोक्त्री के कथनानुसार अभियुक्त उस पर हावी हो गया और उसका मुँह बंद कर दिया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। इस प्रकार, इस पहलू को देखते हुए, यह संभव है कि कोई बड़ी चोट के निशान नहीं थे। अपीलार्थी ने झूठे आलिसता के बचाव को बढ़ाने का प्रयास किया, यद्यपि, वह किसी भी ठोस साक्ष्य द्वारा अपने बचाव का समर्थन करने में असमर्थ रहा।

5.5.6. अभियोक्त्री के विश्वसनीय साक्ष्य को चिकित्सकीय प्रतिवेदन या साक्ष्य द्वारा संपोषण सहित संपोषण के अभाव में खारिज नहीं किया जा सकता था। **मंगा सिंह (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में इस न्यायालय ने टिप्पणी की कि “अभियोक्त्री के गुप्तांग पर चोट न होने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि घटना नहीं हुई थी या संभोग अभियोक्त्री की सहमति से किया गया था।” यह कथन किया गया कि यह सुस्थापित है कि बलात्कार के मामलों में यह सदैव आवश्यक नहीं है कि पीड़िता के शरीर पर बाहरी

चोट पाया जाए।”

5.5.7. **वाहिद खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(2010) 2 एस. सी. सी. 9]** में इस न्यायालय ने अपीलार्थी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि चूंकि अभियोक्त्री की योनिद्वार की छिल्ली अक्षुण्ण पायी गई थी, इसलिए यह कथन नहीं किया जा सकता है कि बलात्कार का अपराध किया गया है। न्यायालय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 में बलात्कार के अपराध की परिभाषा के आलोक में इस तरह के तर्क को स्वीकार करने से इनकार करता है। आगे यह टिप्पणी की गई कि यह इस न्यायालय का सुसंगत दृष्टिकोण है कि मामूली प्रवेश भी बलात्कार के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त है।

5.6 यह विधि का एक वैकल्पिक कथन है कि बलात्कार के मामलों में, अकेले अभियोक्त्री की गवाही पर्याप्त हो सकती है और पीड़िता का एकमात्र साक्ष्य, जब ठोस और सुसंगत हो, तो अपराध के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उचित रूप से उपयोग किया जा सकता है। **हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम मंगा सिंह (2019) 16 एस. सी. सी. 759** में इस न्यायालय ने कथन किया कि दोषसिद्ध केवल अभियोक्त्री के साक्ष्य पर आधारित हो सकती है।

“अभियोक्त्री के एकमात्र साक्ष्य पर दोषसिद्ध कायम रखी जा सकती है, यदि यह विश्वास को प्रेरित करती है। दोषसिद्ध पूरी तरह से अभियोक्त्री के एकमात्र साक्ष्य पर आधारित हो सकती है और किसी भी संपोषण की आवश्यकता नहीं है जब तक कि ऐसे बाध्यकारी कारण न हों जो न्यायालयों को उसके कथन के संपोषण पर जोर देना आवश्यक बनाते हों। अभियोक्त्री के साक्ष्य का संपोषण विधि की आवश्यकता नहीं है; बल्कि प्रस्तुत तथ्यों

और परिस्थितियों में विवेक का मार्गदर्शन है। मामूली संकुचन या छोटी-छोटी विसंगतियाँ अभियोक्त्री के साक्ष्य की अवहेलना करने का आधार नहीं होनी चाहिए।" (कण्डिका 10)

5.6.1. यह भी कथन किया गया कि बलात्कार के मामलों में दोषसिद्ध के लिए संपोषण एक आवश्यक अनिवार्यता नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों से यह सुस्थापित है कि बलात्कार के प्रकरण में दोषसिद्ध के लिए संपोषण अनिवार्य नहीं है। यदि पीड़िता का साक्ष्य किसी भी बुनियादी दुर्बलता से ग्रसित नहीं है और "संभावना कारक" इसे विश्वास के योग्य नहीं बनाता है। एक सामान्य नियम के रूप में, चिकित्सकीय साक्ष्य के अलावा संपोषण पर जोर देने का कोई कारण नहीं है। यद्यपि, प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, चिकित्सकीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। ऐसे मामलों में, अभियोक्त्री का एकल साक्ष्य दोषसिद्धि का आधार बनने के लिए पर्याप्त होगा यदि वह न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करता हो। (कण्डिका 11)

5.6.2. **गुरमीत सिंह (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में यह दोहराया गया कि सभी प्रकरणों में पीड़िता द्वारा अपने साक्ष्य में किए गए कथनों के संपोषण पर नियमवत् जोर नहीं दिया जा सकता है :

यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में, कथित विचार जिनका अभियोजन प्रकरण की सत्यता पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता है या अभियोक्त्री के कथन में विसंगतियाँ भी, जब

तक कि विसंगतियां ऐसी नहीं हैं जो घातक प्रकृति की हैं, तब तक एक अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन प्रकरण को खारिज करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। महिलाओं की अंतर्निहित लज्जा और यौन आक्रामकता के आक्रोश को छिपाने की प्रवृत्ति ऐसे कारक हैं जिन्हें न्यायालयों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। (कण्डिका 8)

5.6.3. यह दावा किया गया था कि केवल सम्मोहक कारण बलात्कार पीड़िता के साक्ष्य की अस्वीकृति को उचित ठहराएंगे, और अन्यथा नहीं।

“....न्यायालयों को किसी अभियुक्त को सिद्धदोष करने के लिए केवल लैंगिक हमले की पीड़िता के साक्ष्य पर कार्यवाही करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जहां उसकी गवाही विश्वास को प्रेरित करती है और विश्वसनीय पाई जाती है। उस पर विश्वास करने से पहले उसके कथन का संपोषण चाहना, एक नियम के रूप में, ऐसे मामलों में चोट के अपमान को जोड़ने के बराबर है.....” (कण्डिका 8)

5.6.4. राजू उर्फ उमाकांत बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2025 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 997), में हाल के एक निर्णय में देखा जा सकता है कि :

“.....लैंगिक हमले की शिकार होने वाली महिला या लड़की दूसरे व्यक्ति की साथी नहीं है बल्कि उस व्यक्ति की वासना का शिकार है और संदेह के साथ उसके साक्ष्य का परीक्षण

करना अनुचित और अवांछनीय होगा। विधि केवल इतना ही आदेश देता है कि न्यायालय को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि वह एक ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य के साथ काम कर रहा है जो उसके द्वारा लगाए गए आरोप के परिणाम में हितबद्ध है और यदि उस पहलू को ध्यान में रखने के बाद यदि न्यायालय इसके बाद संतुष्ट हो जाता है कि साक्ष्य विश्वसनीय है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो न्यायालय को अभियोक्त्री के एकमात्र साक्ष्य पर कार्रवाई करने से रोक सकता हो। [राजस्थान राज्य बनाम एन. के., अभियुक्त , (2000) 5 एस. सी. सी. 30, रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य, 1951 एस. सी. सी. 1213, महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रप्रकाश केवल चंद जैन, (1990) 1 एस. सी. सी. 550, पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह (1996) 2 एस. सी. सी. 384 देखें]” (कण्डिका 18)

5.6.5. महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन, [(1990) 1 एस. सी. सी. 550] के प्रकरण में इस न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि यौन अपराध के अभियोक्त्री को साथी के बराबर नहीं रखा जा सकता है, यह आगे देखा गया कि वह अपराध की शिकार है। साक्ष्य अधिनियम कहीं भी यह नहीं कहता है कि पीड़िता के साक्ष्य को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि इसकी भौतिक विवरणों में संपोषण नहीं किया जाता है। यह भी देखा गया कि बलात्कार पीड़िता के साक्ष्य का वजन उतना ही होना चाहिए जितना शारीरिक हिंसा के मामलों में आहत के साथ जोड़ा जाता है। यह कथन किया गया कि साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत (ख) के समान विधि या अभ्यास का कोई नियम नहीं है शामिल किया गया है, जिसके लिए इसे संपोषण की तलाश करने की

आवश्यकता हो सकती है।

5.7 अपीलार्थी की ओर से किया गया अंतिम निवेदन कि पीड़िता (अ.सा.-2) और उसके भाई (अ.सा.-11) के साक्ष्यों में विसंगतियां थीं, के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि दोनों साक्षियों के साक्ष्य की तुलना में न्यायालय द्वारा कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं देखी जा सकती है। अन्यथा भी, साक्ष्य में विसंगतियां जो मामूली प्रकृति की हैं जो जड़ तक नहीं जाती हों, उन्हें नजरअंदाज करना होगा। **लोक मल उर्फ लोकु (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में इस न्यायालय ने इसे दोहराते हुए टिप्पणी की कि दण्डिक न्यायशास्त्र में सिद्धांत यह है कि बलात्कार के प्रकरण में अभियात्री के साक्ष्य का महत्व आहत साक्षी के साक्ष्य जितना ही होता है तथा अभियात्री के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है।

5.7.1. पीड़िता के विश्वसनीय साक्ष्य पर विश्वास करने का संवेदनशील दृष्टिकोण और अधिक झुकाव उस पहलू से निर्देशित होता है जैसा कि भारवाड़ा भोगिनभाई हिरजिभाई बनाम गुजरात राज्य, [(1983) 3 एस. सी. सी. 217] में टिप्पणी की गई थी :

भारतीय परिवेश में, एक नियम के रूप में संपोषण के अभाव में लैंगिक हमले की शिकार के साक्ष्य पर कार्यवाही करने से इनकार करना, चोट का अपमान करना है। बलात्कार अथवा लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत करने वाली किसी लड़की या महिला के साक्ष्य को शंका या अविश्वास से धूमिल चश्मे से क्यों देखा जाए?" (कण्डिका 9)

5.7.2. हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम लेख राज [(2001) 1 एससीसी 247] के

प्रकरण में मामूली विसंगतियों की महत्वहीनता को इंगित किया गया था। ओसु वर्गीज बनाम केरल राज्य, [(1974) 3 एस. सी. सी. 767] में पूर्व निर्णय का उल्लेख कर यह टिप्पणी की गई कि साक्षियों के अभिसाक्ष्यों में मामूली भिन्नता अक्सर उनके अभिसाक्ष्य की सच्चाई की पहचान होती है और विसंगतियां मामूली चरित्र की पाई जाती हैं जो अभियोजन पक्ष के कथन की जड़ तक नहीं जाती हैं, उन्हें अनुचित महत्व देने की आवश्यकता नहीं है।

5.7.3. **जगदीश बनाम मध्य प्रदेश राज्य, [(1981) एस. सी. सी. (क्रि.) 676]** में यह टिप्पणी की गई कि केवल एकरूपता या स्थिरता कथनों की सच्चाई की एकमात्र परीक्षा नहीं है। विसंगतियाँ ऐसी होनी चाहिए जिन्हें महत्वपूर्ण माना जा सके, जो सामान्य नहीं हैं और ऐसी प्रकृति की हैं जो सामान्य व्यक्ति से अपेक्षित नहीं हैं।

5.8 इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है कि न्यायालय को असहाय लोगों पर लैंगिक हमले के आरोपों से निपटने के दौरान संवेदनशील रहना चाहिए। **राजस्थान राज्य बनाम एन. के., अभियुक्त, [(2000) 5 एस. सी. सी. 30]**, इस न्यायालय ने कथन किया कि "एक गलत दोषमुक्ति समाज में भेड़ियों को आसान शिकार के लिए भटकने के लिए प्रोत्साहित करता है, खासकर तब जब अपराध की शिकार असहाय महिलाएँ होती हैं।" ऐसा ही कथन **गुरमीत सिंह** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में भी किया गया था कि बलात्कार केवल एक शारीरिक प्रहार नहीं है और यह पीड़िता के पूरे व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है।

6. विधि के सिद्धांतों, साक्ष्य साक्ष्यात्मक विश्लेषण और प्रवर्तन के आलोक में कुल साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए, पीड़िता के साक्ष्य के साथ, यह कथन करना होगा कि पीड़िता का साक्ष्य पूरी तरह से संभावित, स्वाभाविक और विश्वसनीय था जिसने अभियुक्त द्वारा उसके विरुद्ध अपराध करने के बारे में पूरी घटना को स्पष्ट रूप से सुनाया। उसकी गवाही पर अविश्वास करने और उसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है, मजबूर करने वाले बहुत कम कारण हैं। बाल साक्षी के

रूप में उसके भाई मयंक का साक्ष्य अभियोक्त्री द्वारा सुनाई गई बातों का तर्कसंगत और तार्किक रूप से समर्थन करती था। साक्ष्य से यह तथ्य भी सामने आता है कि खाट बरामदे में था और पीड़िता को अभियुक्त द्वारा उस पर बलपूर्वक लिटाया गया था।

6.1 एक निरंतरता थी। घटना के तुरंत बाद पीड़ित का आचरण काफी स्वाभाविक था, क्योंकि वह अपनी चचेरी बहन के पड़ोसी घर गई और उसके माध्यम से, चचेरे भाई और उसके माता-पिता को सूचित किया जो बाहर थे।

6.2 घटना का सार, अभियुक्त द्वारा पीड़िता पर हावी होना और उसे बलपूर्वक बिस्तर पर ले जाना अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की समग्रता से स्पष्ट रूप से स्थापित किया जा सकता है। केवल इसलिए कि चिकित्सकीय साक्ष्य कम संपोषणकारक और कम सहायक या विवरण में अनुपस्थित या दोषपूर्ण था। केवल इसलिए कि चिकित्सकीय साक्ष्य कम संपोषक तथा कम सहायक था अथवा विवरण विहीन था किसी बाह्य चोट को नहीं दर्शाता था, यह किसी भी प्रकार से अभियोजन के प्रकरण को दुर्बल नहीं बनाता है। पीड़िता का अभिसाक्ष्य उपलब्ध साक्ष्य पर विश्वास करने के लिए एक सशक्त साक्ष्य था।

6.3 उच्च न्यायालय विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी-दोषी को दी गई दोषसिद्धि और दण्डादेश को यथावत् रखने और उसकी संपोषण करने में पूरी तरह न्यायसंगत था।

7. तदनुसार दण्डिक अपील खारिज की जाती है।

प्रकरण का परिणाम : अपील खारिज।

शीर्ष टिप्पण अंकित ज्ञान द्वारा तैयार किया गया।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।